तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3857/2005/धौलपुर** **महेश (मृतक) जरिए वारिसान कमलेश व अन्य** **बनाम** **दुर्गसिंह(नाम तर्क) सन्नू(मृतक) जरिए वारिसान सावित्री व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ डॉ0श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य उपस्थितः- श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक प्रार्थी श्री बसन्त विजयवर्गीय, अभिभाषक अप्रार्थी निर्णय दिनांक 1-4-2021 1. हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के तहत उपखण्ड अधिकारी, बसेडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19-5-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2. आलोच्य आदेशानुसार विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है । 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 88, 188 का प्रस्तुत किया था । दौराने वाद एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त प्रकरण अभी साक्ष्य वादी में चल रहा है ।वादी की ओर से वसीयतनामें के आधार पर वाद लाया गया है । इस वसीयतनामें के आधार पर जो गवाह नत्थी, ओमप्रकाश थे, उन पर प्रतिवादीगण द्वारा दबाव बनाने से वे गवाही नहीं दे सके । अतः दोनों गवाह के बयानों की प्रमाणित प्रति पेश की जा रही है, जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है । अतः प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जावे । उक्त प्रार्थना-पत्र का जबाव अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर कथन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3857/2005/धौलपुर** **महेश (मृतक) जरिए वारिसान कमलेश व अन्य** **बनाम** **दुर्गसिंह(नाम तर्क) सन्नू(मृतक) जरिए वारिसान सावित्री व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया कि रामसिंह की मृत्यु के बाद सम्पत्ति हड़पने की नियत से पिछली तारीख के स्टॉम्प पर कथित वसीयत दस्तावेज लेखक से मिलकर फर्जी तैयार की है। ओमप्रकाश व नत्थी कभी प्रकरण में साक्ष्य देने नहीं आये, न ही कोई दबाब बनाया गया है । कथित बयानों की नकल लोक दस्तावेज नहीं है न ही पूर्ण साक्ष्य की श्रेणी में आते हैं । ऐसी स्थिति में कथित गवाहों के बयानों की नकलों को रिकार्ड पर लेने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे । विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19-5-2005 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूपयोग कर आक्षेपित निर्णय पारित किया है । वसीयतनामें के गवाह नत्थी , ओमप्रकाश द्वारा पूर्व में गवाही तहसीलदार बसेडी के समक्ष भी गवाही दी थी । अप्रार्थी के दबाव की वजह से वे इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए । उक्त दस्तावेज पब्लिक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आता है एवं फर्जी होने की कोई संभावना नहीं है । परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया जो निरस्तनीय है । अतः निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे । 4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होकर बहस में विचाराधीन है जिसमें अब इस स्तर पर प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने का निवेदन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3857/2005/धौलपुर** **महेश (मृतक) जरिए वारिसान कमलेश व अन्य** **बनाम** **दुर्गसिंह(नाम तर्क) सन्नू(मृतक) जरिए वारिसान सावित्री व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जो कि प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब करने के लिए प्रस्तुत किया है । प्रार्थी के पास उक्त दस्तावेज पूर्व से ही थे एवं जिसकी उन्हें पूर्ण जानकारी थी । अप्रार्थी द्वारा कोई दबाव प्रार्थी के गवाहों पर नहीं बनाया बल्कि विचारण न्यायालय द्वारा एक बार तो प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र कॉस्ट पर स्वीकार भी किया गया है । उसके बाद प्रार्थी को स्वयं उक्त गवाहों की दस्ती दी गई है एवं नत्थी की तलबी बंद की है । अतः प्रार्थी द्वारा जानबूझकर प्रकरण में बहस के समय दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रकरण को लम्बा खींचने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से अस्वीकार करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नही की है । अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे । 5. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त प्रकरण करीब 20 वर्ष पुराना है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जिस दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया है वे दस्तावेज उसके पास पूर्व में ही जानकारी में थे एवं उपलब्ध थे । वाद पेश करने के भी करीब 5 वर्ष पश्चात उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 4-3-2005 को प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर वसीयत के गवाहान को सम्मन द्वारा तलब किए जाने हेतु प्रस्तुत किया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा कॉस्ट पर स्वीकार किया गया था । जिसके बाद दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3857/2005/धौलपुर** **महेश (मृतक) जरिए वारिसान कमलेश व अन्य** **बनाम** **दुर्गासिंह(नाम तर्क) सन्नू(मृतक) जरिए वारिसान सावित्री व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4-11-04 की आदेशिका में लिखा गया है कि "पत्रावली पेश हुई नत्थी की प्रोपर तामील हो चुकी है अन्य गवाह पर प्रोपर तामील नहीं हुई है । अतः गवाह महाराजसिंह व ओमप्रकाश की तामील वादी को दस्ती दिलाकर वादी के निशानदेई से तामील कुनिन्दा से कराई जावे । नत्थी की तलबी ड्रॉप की जाती है । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा दोनों गवाहों की तामील करवाई गई है। इस संबंध में आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के प्रावधान निम्नानुसार है- **14 जिस दस्तावेज के आधार पर वादी वाद लाता है या विश्वास करता है उसका पेश किया जाना-जहाँ वादी अपने दावे के समर्थन में अपने कब्जे या शक्ति में भी दस्तावेज के आधार पर वाद लाता है या दस्तावेज पर विश्वास करता है वहाँ ऐसे दस्तावेजों की सूची बनाएगा और वाद पत्र उपस्थित किए जाने के समय इस न्यायालय में पेश करेगा और उसी समय दस्तावेज को या उसकी प्रति को वाद पत्र के साथ दाखिल किए जाने के लिए पारित करेगा ।** अतः उक्त प्रावधान के मध्य नजर प्रथम दृष्ट्या यह प्रतीत होता कि प्रार्थी द्वारा जो दस्तावेज पेश किए है वे पूर्व से ही उसके पास थे । वसीयत के आधार पर ही वाद लाया है एवं वसीयत के ही गवाह है । पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कॉस्ट पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया था । अब पुनः उन्हीं गवाहों के बयान की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा रही है । प्रार्थी उक्त प्रावधानों के अनुरूप दस्तावेज प्रस्तुत करने में अपेक्षित थे पन्तु प्रार्थी द्वारा अत्यधिक देरी से प्रस्तुत करने का प्रार्थना-पत्र पेश किया है । इस न्यायालय का यह मत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3857/2005/धौलपुर** **महेश (मृतक) जरिए वारिसान कमलेश व अन्य** **बनाम** **दुर्गसिंह(नाम तर्क) सन्नू(मृतक) जरिए वारिसान सावित्री व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि अतः उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ना दृष्टिगोचर नहीं होता है बल्कि प्रार्थी जिस वसीयत के आधार पर दावा लाया है उसी के गवाह से संबंधित दस्तावेज है तथा सार्वजनिक दस्तावेज के तहत स्थापन्न साक्ष्य के तहत पठनीय है । अतः हमारी सुविचारित राय में प्रार्थी को एक अंतिम मौका कॉस्ट के आधार पर गवाह के प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने का दिया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है । 7. फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-5-2005 निरस्त कर प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता को रूपये एक हजार की कॉस्ट पर स्वीकार कर दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाता है । प्रार्थी कॉस्ट की राशि अप्रार्थी को विचारण न्यायालय में अदा करेगा । उभय पक्षकारान को दिनांक 26-4-2021 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तत्काल निर्णय की नियमानुसार प्रति के साथ लौटाया जावे । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । **(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/3857/2005/धौलपुर** **महेश (मृतक) जरिए वारिसान कमलेश व अन्य** **बनाम** **दुर्गसिंह(नाम तर्क) सन्नू(मृतक) जरिए वारिसान सावित्री व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए